न्यायालय विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण), सी०बी०आई० कोर्ट सं०–३,गाजियाबाद।
उपस्थितः राजेन्द्र प्रसाद, उच्चतर न्यायिक सेवा,
जमानत प्रार्थना पत्र संख्या ११४/२०१७

अमन मणि त्रिपाठी बनाम सी०बी०आई०

आर०सी० नं० ६(एस)२०१५/एससीयू.वी
धारा ४९८ए,३०२,१२०बी भा०द०सं०
थाना एस०सी०–II/सी०बी०आई०,
नई दिल्ली।

दिनांकः १३.०१.२०१७

जमानत आदेश

प्रार्थी/अभियुक्त अमन मणि त्रिपाठी पुत्र श्री अमर मणि त्रिपाठी की ओर से उपरोक्त मुकदमें के अन्तर्गत जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें प्रार्थना पत्र में कथित तथ्यों के आधार पर जमानत पर रिहा करने की याचना की गयी है।

उपरोक्त प्रार्थना पत्र के विरूद्ध सी०बी०आई०/अभियोजन की ओर से कोई लिखित आपत्ति दाखिल नही है, किन्तु सुनवाई के दौरान मौखिक आपत्ति करते हुए जमानत प्रार्थना पत्र को निरस्त करने की याचना की गयी है।

उपरोक्त प्रार्थना पत्र व मौखिक आपत्ति पर अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा सी०बी०आई०/अभियोजन की ओर से विद्वान लोक अभियोजक को सुना तथा सम्बन्धित रिमाण्ड पत्रावली व अन्य सम्बन्धित प्रपत्रों का अवलोकन किया।

उपरोक्त प्रार्थना पत्र में अभियुक्त अमन मणि त्रिपाठी की ओर से यह कथन किया गया है कि आवेदक/अभियुक्त अमन मणि त्रिपाठी का विवाह श्रीमती सारा सिंह (मृतका) के साथ माह जुलाई २०१३ में आर्य समाज मंदिर लखनऊ,उत्तर प्रदेश में हुआ था। आवेदक तथा उसकी पत्नी सारा सिंह खुशी–खुशी अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। दिनांक ०९.०७.२०१५ को जब वह अपनी पत्नी के साथ छुट्टियां मनाने दिल्ली आ रहा था तब जिला फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश में उसका एक्सीडेंट हो गया, जिसके फलस्वरूप उसकी पत्नी को कापी चोटे आयी। स्थानीय पुलिस को उसने तत्काल सूचित किया, पुलिस ने आवेदक को गिरफ्तार नही किया। पुलिस द्वारा एक दुर्घटना मानी गयी तथा उसके वाहन को भी उसके सुपुर्द कर दिया गया। उसकी पत्नी सारा सिंह का पोस्ट मार्टम जिला अस्पताल फिरोजाबाद में किया गया, जिसमें पोस्ट मार्टम के समय दिनांक ०९.०७.२०१५ को सम्बन्धित चिकित्सक डाक्टर पंकज राकेश मैडिकल आफिसर इन्चार्ज जिला अस्पताल फिरोजाबाद

द्वारा पोस्ट मार्टम रिपोर्ट सं० ५६६/२०१५ दिनांकित ०९.०७.२०१७ में यह पाया गया कि मृतका सारा सिंह की मृत्यु आघात तथा रक्तबहाव (Shock & Hemorrhage) के कारण हुई है। श्रीमती सारा सिंह की मृत्यु कथित दुर्घटना में होने के सम्बन्ध में सूचना तत्काल उसने मृतका के भाई सिद्धार्थ को, उसकी माता श्रीमती सीमा सिंह को दिया। श्रीमती सीमा सिंह दुर्घटना स्थल पर आयी तथा वहां पर उपस्थित लोगो से बातचीत करने के बाद संतुष्ट थी कि दुर्घटना दुर्भाग्यवश हुई थी। किन्तु तत्पश्चात कुछ राजनीतिज्ञ जो आवेदक तथा उसके परिवार से रंजिश रखते थे, श्रीमती सीमा सिंह के सम्पर्क में आये और उन्होने आवेदक/अभियुक्त तथा उसके परिवार वालो को परेशान करने के लिए उकसाये। तत्पश्चात दिनांक १७.०७.२०१५ को श्रीमती सीमा सिंह अभियुक्त की सास ने पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद के यहां एक शिकायत दर्ज करायी, जिसमें यह आरोप लगाया गया कि अभियुक्त तथा श्रीमती सारा सिंह का विवाह माह जूलाई २०१३ में आर्य समाज मंदिर, अलीगंज, लखनऊ में हुआ था, ४–५ माह वे लोग हँसी–खुशी रहे उसके बाद सारा सिंह परेशान–सी रहने लगी। श्रीमती सीमा सिंह ने कई बार यह जानने की कोशिश की कि सारा सिंह क्यों परेशान है, किन्तु वह नही बतायी। लगभग ६ माह पूर्व सारा सिंह ने अपनी माँ को बताया था कि अभियुक्त अमन मणि त्रिपाठी उससे आये दिन मारपीट व लडाई झगडा इस बात पर करता है कि वह उससे छुटकारा पाना चाहता है, तब श्रीमती सीमा सिंह ने अपनी बेटी सारा सिंह को समझाया कि तुम प्यार से अमन मणि को समझाने की कोशिश करों, जिस पर सारा सिंह ने अपनी माँ सीमा सिंह से बताया कि वह अपनी गृहस्थी बचाने के लिए काफी प्रयास कर चुकी है लेकिन अमन मणि त्रिपाठी तथा उसका परिवार उससे किसी भी तरह से छुटकारा पाना चाहता है। वादिनी श्रीमती सीमा की बेटी सारा सिंह अकसर कहती थी कि '' मम्मी मेरे साथ कोई अनहोनी न हो जाये।'' दिनांक ०९.०७.२०१५ को समय दोपहर लगभग १.३८ बजे के बाद शिकायतकर्ता श्रीमती सीमा सिंह के बेटे सिद्धार्थ के मोबाइल पर फोन काल आयी जिसमें एक व्यक्ति ने बताया कि यहां पर एक दुर्घटना हुई हैं। उसके वादिनी के बेटे सिद्धार्थ के मोबाइल पर सारा सिंह के मोबाइल से अमन मणि त्रिपाठी का फोन आया और उसने बताया कि उसकी तथा सारा सिंह की गाडी दुर्घटनाग्रस्त हो गयी है। थोडी देर बाद अमन मणि त्रिपाठी का फोन वादिनी सीमा सिंह के नम्बर पर आया, जिसमें अमन मणि त्रिपाठी ने बताया कि उपरोक्त दुर्घटना में सारा सिंह की मृत्यु हो चुकी है। उसे पूरा विश्वास है कि उसकी लडकी सारा सिंह की मृत्यु दुर्घटना में न होकर एक षडयंत्र के तहत हत्या करवायी गयी है। उपरोक्त तहरीर के आधार पर दिनांक १७.०७.२०१५ को एफ०आई०आर० नं० ३८७/२०१५ अन्तर्गत धारा ४९८ए, ३०२,१२०बी भा०दं०सं० के अन्तर्गत थाना सिरसागंज, जिला फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश में दर्ज हुई है। श्रीमती सीमा सिंह एक साधन सम्पन्न महिला है, उसकी मजबूत राजनीतिक पकड है। उत्तर प्रदेश शासन में शक्तिशाली राजनीतिज्ञों के साथ उसके सम्बन्ध है। उपरोक्त मुकदमे का स्थानान्तरण उत्तर प्रदेश शासन के Notification N0. CM 734(C)/6–UP–12–2015–

13(7)D/2015–13(7)D/2015 dated 24–07–2015 के द्वारा CBI को किया गया। उक्त नोटिफिकेशन के अनुपालन में CBI के Notification N0. 228/33/2015–AVD–II dated 14–10–2015 issued by Deptt of Personnel & Training, Union of India के प्रकाश में उक्त मुकदमे की RC No.6 (S) /2015/SCU.V/SC.II/CBI dated 19–10–2015. को सी०बी०आई० में दर्ज किया गया। गलत तरीके से मनमाने तौर, दुराशयपूर्वक उपरोक्त केस को सी०बी०आई० को अन्तरित किया गया। उपरोक्त केस को सी०बी०आई० को अन्तरित करने का कोई विशेष कारण नही दिया गया है। शिकायतकर्ता श्रीमती सीमा सिंह तथा उसके परिवार के अन्य सदस्यों ने मृतका के मृत शरीर को प्राप्त किया था तथा दाहसंस्कार में भाग भी लिया था। उपरोक्त एफ०आई०आर० दुर्घटना के ८ दिन बाद दर्ज करायी गयी है, इसकी कोई वजह नही बतायी गयी है। अब अभियोजन द्वारा यह आरोप लगाया जा रहा है कि अभियुक्त/आवेदक तथा उसकी पत्नी का वैवाहिक जीवन सही ढंग से नही चल रहा था। मृतका सारा सिंह आवेदक से तलाक चाहती थी जबकि आवेदक अभियुक्त तलाक नही चाहता था, इसी से क्षुब्ध होकर उसने सारा सिंह की हत्या की है। शिकायतकर्ता की ओर से लगाया गया आरोप तथा सी०बी०आई० के कथनों में विरोधाभाष है। सी०बी०आई० करीब १३–१४ माह से इस केस की विवेचना कर रही है, कोई विश्वसनीय साक्ष्य अभियुक्त के विरूद्ध अभी तक नही जुटा पायी कि अभियुक्त ने षडयंत्र के तहत अपनी पत्नी सारा सिंह को मारा है अथवा सारा सिंह की मृत्यु रोड एक्सीडेंट में नही हुई है। सी०बी०आई० द्वारा अभियुक्त को दिनांक २५.११.२०१६ को गिरफ्तार किया गया है। वह विवेचना में पूरा सहयोग कर रहा है। वह विधिक प्रक्रिया का कभी दुरूपयोग नही करेगा, विवेचना में हमेशा सी०बी०आई० द्वारा बुलाने पर उपलब्ध रहेगा। वह एक सम्मानित राजनितिक, सामाजिक व राजनीतिक सक्रिय कार्यकर्ता है। वह एक नौजवान व्यक्ति है। उत्तर प्रदेश विधान सभा चुनाव वर्ष २०१२ में प्रत्याशी था, पुनः उत्तर प्रदेश विधान सभा चुनाव में एम०एल०ए० का प्रत्याशी है। सी०बी०आई० पूर्ण रूप से यह जानती है कि अभियुक्त निर्दोष है। इस केस की घटना में सारा सिंह की आकस्मिक मृत्यु हुई है। अभियुक्त एल०एल०बी० द्वितीय वर्ष का छात्र है। साक्ष्य को प्रभावित करने का कोई प्रश्न ही नही उठता है। न्यायालय द्वारा निर्धारित की गयी शर्तो का पालन करने के लिए वह तैयार है तथा जमानत पर रिहा करने की याचना की गयी है।

सी०बी०आई०/अभियोजन पक्ष की ओर से विद्वान लोक अभियोजक द्वारा सुनवाई के दौरान मौखिक रूप से यह तर्क दिया गया है कि प्रस्तुत केस अभी तक परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है। प्रस्तुत मुकदमे से सम्बन्धित साक्ष्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला परीक्षण हेतु भेजे गये है, उसमें से कुछ परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है। अब तक की गयी विवेचना में जो साक्ष्य विवेचक द्वारा एकत्रित किए गए है उससे यह साबित है कि अभियुक्त अमन मणि त्रिपाठी द्वारा अपनी पत्नी सारा सिंह की हत्या की गयी है। अभियुक्त ने सारा सिंह के साथ

शादी करने के बाद बैक में खाता खोला है जिसमें अपने को अविवाहित होना बताया है। जिस वाहन से दुर्घटना होना अभियुक्त द्वारा बताया गया है, उक्त वाहन/कार में जो क्षति आयी है, उससे मृतका की मृत्यु होना सम्भव नही है। मृतका की मृत्यु के बाद जो फोटोग्राफ लिया गया है, उसमें उसके गले पर निशान पाये गये है उससे यह स्पष्ट है कि सारा सिंह की हत्या गला घोंटकर की गयी है। अभियोजन की ओर से यह भी तर्क दिया गया कि अभियुक्त द्वारा दुर्घटनाग्रस्त वाहन की दुर्घटना के समय जो गति बतायी गयी है उससे वाहन का तत्काल पलटना सम्भव नही है बल्कि वह काफी दूर तक जा सकता है। अभियुक्त एक राजनीतिक व प्रभावशाली व्यक्ति है जमानत पर रिहा होने पर वह साक्ष्य को प्रभावित कर सकता है, जिससे विवेचक की विवेचना में प्रतिकूल प्रभाव पड सकता है तथा जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त करने की याचना की गयी।

अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्तागण द्वारा यह तर्क दिया गया कि प्रस्तुत केस में कोई प्रत्यक्ष गवाह नही है। अभियोजन के अनुसार पूरा मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है। अभियुक्त की ओर से (२०१५) ४ सुप्रीम कोर्ट केसेज २८१ भीम सिंह व अन्य बनाम स्टेट आफ उत्तराखण्ड तथा (२०१४) १३ सुप्रीम कोर्ट केसेज ३५ दुर्गा बरमन राय बनाम स्टेट आफ सिक्किम का उद्धरण देते हुए यह तर्क दिया गया कि जहां पूरा मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है वहां पर परिस्थितिजन्य साक्ष्यों की कडियों को एक दूसरे से पूर्णतय जुडना चाहिए, परिस्थितिजन्य साक्ष्य की कडियां टूटनी नही चाहिए। आगे यह भी तर्क दिया गया कि प्रस्तुत केस में अभी तक की विवेचना में सी०बी०आई० द्वारा कोई ऐसा साक्ष्य एकत्रित नही किया गया है जिससे अभियोजन कथानक का समर्थन होता हो। आगे (२०११) ६ सुप्रीम कोर्ट केसेज ३४३ स्टेट आफ राजस्थान बनाम इस्लाम व अन्य का उद्धरण देते हुए अभियुक्त की ओर से यह भी तर्क दिया गया अपराधिक केस में जहां दो दृष्टिकोण सम्भव हो, एक दृष्टिकोण से अभियुक्त दोषी पाया जाये तथा दूसरे दृष्टिकोण से उसे दोषी न पाया जाये तो दोषी न होने वाले दृष्टिकोण को अपनाना चाहिए। आगे यह भी तर्क दिया गया कि प्रस्तुत केस में अभियुक्त दोषी नही है तथा जमानत पर रिहा करने की याचना की गयी।

सी०बी०आई० के विद्वान लोक अभियोजक द्वारा उपरोक्त तर्क के खण्डन में यह कहा गया कि प्रस्तुत प्रकरण अभी विवेचनाधीन है। अपराधिक विधिक सिद्धांत के अनुसार आरोप पत्र दाखिल होने के पश्चात संदेह के आधार पर भी अभियुक्त के विरूद्ध आरोप विरचित किया जा सकता है, आरोप के स्तर पर भी अभियोजन साक्ष्यों का निर्वचन इसप्रकार से नही किया जाता है कि अभियुक्त दोषसिद्ध किए जाने योग्य है अथवा नही तथा यह भी तर्क दिया गया कि अभियुक्त की ओर से दी गयी उक्त विधि व्यवस्थाएं सम्माननीय है किन्तु इस स्तर पर प्रस्तुत केस मे लागू नही होती है क्योंकि वे जमानत से सम्बन्धित नही है।

अभियुक्त की ओर से एक तर्क यह भी दिया गया कि कथित दुर्घटना दिनांक

०९.०७.२०१५ को अपनी पत्नी मृतका सारा सिंह को उसके मायके से अपने साथ लेकर चला था, सारा सिंह की माँ सीमा सिंह ने हंसी खुशी अभियुक्त के साथ भेजा था। उसकी कार दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद उसकी सूचना मृतका की मां तथा भाई को दी गयी थी वह घटनास्थल पर उपस्थित आयी मृतका के शव को प्राप्त किए तथा दाहसंस्कार में शामिल हुए थे। उस समय मृतका की मां को कोई आपत्ति नही थी लेकिन कथित दुर्घटना के ८ दिन बाद दिनांक १७.०७.२०१५ को मृतका की मां सीमा सिंह द्वारा यह एफ०आई०आर० करने हेतु शिकायत पत्र जनपद फिरोजाबाद में दिया गया। उसे तथा उसके परिवार वालो को तंग व परेशान करने के लिए कुछ राजनीतिज्ञों के प्रभाव में उपरोक्त मुकदमा दर्ज कराया गया है।

यहां पर यह उल्लेखनीय है कि अभी प्रस्तुत केस की विवेचना जारी है। अभियोजन की ओर से यह कहा गया है कि अब तक की गयी विवेचना में जो साक्ष्य प्राप्त हुए है उससे अभियुक्त द्वारा अपनी पत्नी की हत्या करना पाया गया है। जहां तक इस स्तर पर अभियुक्त के दोषी अथवा निर्दोष होने का प्रश्न है, कोई निष्कर्ष नही दिया जा सकता है। एक ही वाहन से अभियुक्त अमन मणि त्रिपाठी तथा उसकी पत्नी मृतका सारा सिंह दुर्घटना के समय यात्रा कर रहे थे। कथित दुर्घटना मे अभियुक्त की पत्नी की मृत्यु हो जाती है तथा अभियुक्त को कोई चोट आने के सम्बन्ध में कोई साक्ष्य/मैडिकल रिपोर्ट अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत नही की गयी है। कथित घटना दिनांक ०९.०७.२०१५ को अभियुक्त ने अपना भी इलाज कराया हो इस सम्बन्ध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया जबकि उस दिन मृतका का पोस्ट मार्टम जिला अस्पताल फिरोजाबाद में हुआ है। अभियुक्त की ओर से क्षतिग्रस्त वाहन का फोटोग्राफ अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा एक मोबाइल पर न्यायालय को दिखाया गया। उपरोक्त सभी तथ्य एवं परिस्थितियों तथा अपराध की प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुए, गुणदोष पर बिना कोई मत व्यक्त किए जमानत का आधार पर्याप्त नही पाया जाता है। तदनुसार जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किए जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

आर०सी० नं० ६(एस)२०१५/एससीयू.वी, धारा ४९८ए,३०२,१२०बी भा०द०सं०, थाना एस०सी०–II/सी०बी०आई०, नई दिल्ली के अन्तर्गत अभियुक्त अमन मणि त्रिपाठी का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।

(राजेन्द्र प्रसाद)
विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण),
सी०बी०आई० कोर्ट सं०–३,
गाजियाबाद।

दिनांकः १३.०१.२०१७